	6/6/24.	पत्रावली पेश हुयी। अधि० उभयपक्ष	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

[illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष : [illegible] /20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष दम[illegible]
	06/06/24	उपस्थित अधिवक्ता वादी द्वारा, विवादग्रस्त आराजी की नवीन जमाबंदी पेश की गयी। जो कि शा० मिसल है। ~~नवीन~~ पत्रावली मय रिकॉर्ड के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि वादी अधि० द्वारा पेश जमाबंदी में वादी ~~[illegible]~~ का नाम सहखातेदार के रूप में अंकित नहीं है। वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा -53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादी रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है, चूंकि धारा -53 अन्तर्गत राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार, भूमि-	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय ____ सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

[illegible] बनाम सिद्धलाल वगै०

मुकदमा संख्या/वर्ष : [illegible] 131/2022 /20____

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06/06/24	क्षेत्रों का विभाजन सह-आसामियों के बीच होता है एवं धारा-188 अन्तर्गत राज० काश्तकारी अधि०-1955 के उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, किसी भूमि-क्षेत्र का खातेदार ही अवैध बेदखली के विरुद्ध व्यादेश का अनुतोष प्राप्त कर सकता है। सारतः वादी को उक्त वाद में कोई locus-standi शेष नहीं बचा है एवं वाद के चरण संख्या-09 में जो वाद-कारण बताया है, वह भी वर्तमान में जारी नहीं है। अतः वादी का वाद विधि से वर्जित होने एवं वाद-कारण के अभाव में पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

[illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष : दावा [illegible] / 20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
		दिनांक 06/06/24 को सरे इजलास सुनाया गया [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	